पिंकी – ललिता आदि प्र. नं. 35/17

आज्ञा पत्र

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ के आह्वान पर न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21.3.25 को पेश हो।

21.3.25 पत्रावली पेश। अभिभाषक उपस्थित। बहस हेतु दिनांक 4.4.25 को पेश हो।

4.4.25 पत्रावली पेश। अभिभाषक उपस्थित। बहस हेतु दिनांक 15.4.25 को पेश हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

15.4.25 पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ के आह्वान पर न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21.4.25 को पेश हो।

21.4.25 पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ के आह्वान पर न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23.4.25 को पेश हो।

23/4/25 पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ के आह्वान पर न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5/5/25 को पेश हो।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

5.5.25 पत्रावली पेश। बहस अपीलार्थी सुनी गई। पत्रा. वास्ते आदेश दिनांक 15.5.25 को पेश हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

15.5.25 पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 120/2019

1 पिंकी उर्फ सपना पत्नी स्व. प्रकाशचन्द उम्र 35 साल जाति जाट निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर विकृतचित जरिये हितमित्र एवं हाल आबाद माता मनोहरी देवी पत्नी स्व. सांवरमल जाति लाट निवासी वार्ड नम्बर 40 ज्योति नगर पिपराली रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर राज. ।

अपीलांटस

बनाम

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन ... सीकर

1 संतरा उम्र 39 साल
2 सरिता उम्र 41 साल
3 शारदा उम्र 35 साल
4 सुमन उम्र 29 साल
5 शर्मिला उम्र 27 साल समस्त पुत्रियां रामेश्वरलाल जाति जाट निवासीगण ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस/वादीगण

6 प्रभाती देवी पत्नी जगन उम्र 50 साल
7 पंकज पुत्र जगन उम्र 24 साल
8 प्रवीण पुत्र जगन उम्र 27 साल
9 चावली पत्नी भगवानाराम उम्र 70 साल
10 गोपाल पुत्र भगवानाराम उम्र 38 साल समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर राज.।
11 हुक्मचन्द तोदी पुत्र रामप्रताप जाति महाजन निवासी बजाज रोड़, सीकर।
12 विकास काबरा पुत्र मणिशंकर जाति महाजन निवासी तिलक नगर वार्ड नम्बर 16 सीकर जिला सीकर।
13 सरोज पत्नी गणेशराम जाति जाट निवासी लालासरी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.।
14 तहसीलदार तहसील सीकर।

रेस्पोडेन्टस/प्रतिवादीगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट
विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांकित
05.06.2015 मुकदमा नम्बर 246/2014 बउनवानी
संतरा आदि बनाम प्रभाती आदि न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी सीकर पीठासीन अधिकारी राकेश
कुमार आरएएस

अपील संख्या 121/2019

1 पिंकी उर्फ सपना पत्नी स्व. प्रकाशचन्द उम्र 35 साल जाति जाट निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर विकृतचित जरिये हितमित्र एवं हाल आबाद माता मनोहरी देवी पत्नी स्व. सांवरमल जाति लाट निवासी वार्ड नम्बर 40 ज्योति नगर पिपराली रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर राज. ।

अपीलांटस

बनाम

1 संतरा उम्र 39 साल
2 सरिता उम्र 41 साल
3 शारदा उम्र 35 साल
4 सुमन उम्र 29 साल
5 शर्मिला उम्र 27 साल समस्त पुत्रियां रामेश्वरलाल जाति जाट निवासीगण ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस/वादीगण

6 प्रभाती देवी पत्नी जगन उम्र 50 साल
7 पंकज पुत्र जगन उम्र 24 साल
8 प्रवीण पुत्र जगन उम्र 27 साल
9 चावली पत्नी भगवानाराम उम्र 70 साल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

10 गोपाल पुत्र भगवानाराम उम्र 38 साल समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर राज.।

11 हुक्मचन्द तोदी पुत्र रामप्रताप जाति महाजन निवासी बजाज रोड़, सीकर।

12 विकास काबरा पुत्र मणिशंकर जाति महाजन निवासी तिलक नगर वार्ड नम्बर 16 सीकर जिला सीकर।

13 सरोज पत्नी गणेशराम जाति जाट निवासी लालासरी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.।

14 तहसीलदार तहसील सीकर।

रेस्पोडेन्टस / प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट निर्णय एवं
अंतिम डिक्री दिनांकित 21.04.2016 मुकदमा नम्बर
246 / 2014 बउनवानी संतरा आदि बनाम प्रभाती आदि
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर पीठासीन अधिकारी
आर.एन.शर्मा आरएएस

अपील संख्या 34 / 2019

1 पिंकी उर्फ सपना पत्नी स्व. प्रकाशचन्द उम्र 35 साल जाति जाट निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर विकृतचित जरिये हितमित्र एवं हाल आबाद माता मनोहरी देवी पत्नी स्व. सांवरमल जाति लाट निवासी वार्ड नम्बर 40 ज्योति नगर पिपराली रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर राज. ।

अपीलांटस

बनाम

1 सरिता उम्र 41 साल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

2 संतरा उम्र 39 साल
3 शारदा उम्र 35 साल
4 सुमन उम्र 29 साल
5 शर्मिला उम्र 27 साल समस्त पुत्रियां रामेश्वरलाल जाति जाट निवासीगण ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर राज.।
6 चावली पत्नी भगवानाराम उम्र 70 साल
7 गोपाल पुत्र भगवानाराम उम्र 38 साल समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर राज.।
8 उप पंजीयक महोदय सीकर राज.।
14 तहसीलदार तहसील सीकर।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 225 काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 03.06.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 112/2014 उनवानी पिंकी उर्फ सपना बनाम सरिता वगै.

अपील संख्या 35/2019

1 पिंकी उर्फ सपना पत्नी स्व. प्रकाशचन्द उम्र 35 साल जाति जाट निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर विकृतचित जरिये हितमित्र एवं हाल आबाद माता मनोहरी देवी पत्नी स्व. सांवरमल जाति लाट निवासी वार्ड नम्बर 40 ज्योति नगर पिपराली रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर राज. ।

अपीलांटस

बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं ... सीकर

1 सरिता उम्र 41 साल
2 संतरा उम्र 39 साल
3 शारदा उम्र 35 साल
4 सुमन उम्र 29 साल
5 शर्मिला उम्र 27 साल समस्त पुत्रियां रामेश्वरलाल जाति जाट निवासीगण ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर राज.।
6 चावली पत्नी भगवानाराम उम्र 70 साल
7 गोपाल पुत्र भगवानाराम उम्र 38 साल समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर राज.।
8 प्रभाती पत्नी स्व. जगन
9 पंकज पुत्र स्व. जगन
10 प्रवीण पुत्र स्व. जगन समस्त जातियान जाट निवासीगण ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर।
11 हुक्मचन्द तोदी पुत्र रामप्रताप जाति महाजन निवासी बजाज रोड़, सीकर।
12 विकास काबरा पुत्र मणिशंकर जाति महाजन निवासी तिलक नगर वार्ड नम्बर 16 सीकर जिला सीकर।
13 सरोज पत्नी गणेशराम जाति जाट निवासी लालासरी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.।
14 उप पंजीयक महोदय सीकर राज.।
15 तहसीलदार तहसील सीकर।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 225 काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय दिनांक 03.06.2019 न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी सीकर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या
111/2014 उनवानी पिंकी उर्फ सपना बनाम सरिता वगै.

अपील संख्या 06/2024

1 पिंकी उर्फ सपना पत्नी स्व. प्रकाशचन्द उम्र 35 साल जाति जाट निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर विकृतचित जरिये हितमित्र एवं हाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

आबाद माता मनोहरी देवी पत्नी स्व. सांवरमल जाति लाट निवासी वार्ड नम्बर 40 ज्योति नगर पिपराली रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर राज. ।

अपीलांटस

बनाम

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

1 सरिता
2 सीता
3 शारदा
4 सुमन
5 शर्मिला उम्र 27 साल समस्त पुत्रियां रामेश्वरलाल जाति जाट निवासीगण ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर राज.।
6 सुरेन्द्र पुत्र बालाराम जाति जाट निवासी सोला तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर हाल निवासी खीचड़ हाउस बाईपास चौराहा गोकुलपुरा से सांवली रोड़ गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर।
7 भागीरथ सेवदा प्रो. जयशंकर ट्रांसपोर्ट जयपुर बीकानेर बाईपास रोड़ सीकर।
8 सागरमल पुत्र रामदेवाराम खीचड़
9 मनराज पुत्र केशरदेव खीचड़
जाति जाट निवासीगण गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर।
10 राजवीर सिंह पुत्र नामालूम हनमानगढ़ वाला निवासी गोकुलपुरा तहसील जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

आवेदन अ. आदेश 39 नियम 2 ए सीपीसी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिवरतन शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री भागीरथमल जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री सज्जन सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
5. श्री दीनानाथ शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 15/5/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 246/2014 में पारित निर्णय दिनांक 05.06.2015, 21.04.2016 एवं टी.आई प्रार्थना पत्र संख्या 111/2014, 112/2014 में पारित निर्णय दिनांक 03.06.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 06/2024 इस न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 02.12.2019 की अवमानना में प्रस्तुत किया गया है। यह पांचो पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट वादिया संतरा, सरिता, शारदा, सुमन, शर्मिला की ओर से घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर ग्राम गोकुलपुरा की भूमि खसरा नम्बर 99, 100, 101, 89/2, 88/2 के संदर्भ में अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 02.06.2015 को प्राथमिक डिक्री एवं दिनांक 21.04.2016 को अंतिम डिक्री जारी की गई है। इस प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री के विरूद्व अपीलांट ने स्वयं को रामेश्वरलाल के पुत्र प्रकाशचन्द्र की पत्नी होने का कथन कर विवादित भूमि में रामेश्वरलाल के हिस्से में वसीयत के आधार पर धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ अपील संख्या 120/2019 एवं 121/2019 प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की ओर से ग्राम गोकुलपुरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

की भूमि खसरा नम्बर 99, 100, 101, 89/2, 88/2 के संदर्भ में घोषणा का वाद प्रस्तुत कर वाद के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 111/2014 प्रस्तुत किया गया एवं ग्राम गोकुलपुरा की भूमि खसरा नम्बर 68, 72 के संदर्भ में भी घोषणा का वाद प्रस्तुत कर वाद के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 112/2014 प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय दिनांक 03.06.2019 से अपीलांट के दोनों आवेदन खारिज किये। इससे व्यथित होकर अपीलांट की ओर से अपील संख्या 34/2019 व 35/2019 प्रस्तुत की गई है। इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 121/2019 में जारी स्थगन आदेश दिनांक 02.12.2019 की अवमानना का प्रार्थना पत्र अपीलांट द्वारा 06/2024 प्रस्तुत किया गया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5/वादीगण ने विचारण न्यायालय में एक वाद मुकदमा नम्बर 246/2014 दिनांक 16.07.2014 को रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 14/प्रतिवादी नम्बर 1 ता 9 के विरूद्ध इन कथनों के साथ पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 8 की संयुक्त कब्जे–काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 99 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 100 रकबा 0.300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 101 रकबा 1.7600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 89/2 रकबा 1.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 88/2 रकबा 0.5900 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 3.4100 हैक्टेयर ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें खसरा नम्बर 99, 100 व 101 वादीगण व भाई स्व. प्रकाशचन्द की 5/6 एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 का 1/6 हिस्सा, खसरा नम्बर 89/2 रकबा 1.0100 हैक्टेयर में वादीगणस व भाई प्रकाशचन्द का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 का हिस्सा 0.35 हैक्टेयर है तथा प्रतिवादी नम्बर 4 व 5 का 0.04 हैक्टेयर हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 8 का हिस्सा 0.11 हैक्टेयर है। खसरा नम्बर 88/2 में वादिनी नम्बर 1 ता 3 व इनके भाई स्व. प्रकाशचन्द का हिस्सा 0.0366 हैक्टेयर वादी नम्बर 4 व 5 का हिस्सा 1/6, प्रकाशचन्द का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 का हिस्सा 1/6, प्रतिवादी नम्बर 6 व 7 का हिस्सा 0.1600

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हैक्टेयर जिसमें वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 8 मुताबिक राजस्व रिकार्ड मौके पर अपने अपने हिस्सा पर काबिज होकर अन्दाजन अपनी नींव सींव कायम कर अपने हिस्से में ढाणी बनाकर काश्त करते चले आ रहे है किन्तु विधिवत बंटवारा माप एवं सीमांकन द्वारा नहीं होने के कारण सीमाओं को लेकर आये दिन झगड़ा होता रहता है इसलिए विधिवत बंटवारा किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना उचित एवं आवश्यक है। वादीगण के उक्त वाद का जवाबदावा प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 ने दिनांक 08.01.2015 को प्रस्तुत कर वादीगण के द्वारा चाही गई सहायता देने में कोई एतराज नहीं जताया तथा दिनांक 26.05.2015 को राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामानुसार उक्त वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिसके वाद विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05.06.2015 के द्वारा वादीगण का वाद डिक्री कर प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी तथा दिनांक 21.04.2016 को अंतिम डिक्री प्राप्त कर ली। अपीलांट विवादित भूमि के सहखातेदार प्रकाशचन्द्र पुत्र रामेश्वरलाल जो वादीगण का सगा भाई था, वो प्रारम्भ से ही दिमाग से विक्षिप्त एवं विकलांग पैदा हुआ था। जिसकी अल्प आयु में ही दिनांक 30.03.2014 को मृत्यु हो गई। अपीलांट इस प्रकार प्रकाशचन्द्र की पत्नी होने से प्रभावित पक्षकार है। विचारण न्यायालय में वादीगण ने अपीलांट को पक्षकार संयोजित किये बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित करवाया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के हित प्रभावित हो रहे है। अपीलांट को जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। धारा 5 व धारा 96 का आवेदन स्वीकार किया जावें। विचाराधीन डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का मौका नहीं दिया। गिरदावर व पटवारी हल्का द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार सीकर के आदेश दिनांक 12.06.2015 के अनुसार जो फर्द मौका दिनांक 25.06.2015 को तैयार की गई। उक्त मौका रिपोर्ट में यह अंकित है कि 'खातेदार प्रकाशचन्द की मृत्यु हो चुकी है' तथा यह नोट भी अंकित है कि 'न्यायालय एसडीएम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सीकर में पिंकी बनाम सरिता का वाद चल रहा है जिसमें रिकार्ड व मौके की यथास्थिति का स्थगन है।' उक्त नोट से स्पष्ट है कि गिरदावर व पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद व आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा का पिंकी बनाम सरिता विचारण न्यायालय में विचाराधीन होने का तथ्य पत्रावली पर मौजूद था किन्तु इसके बावजूद अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिये बिना तथा उक्त तथ्य की जांच किये बिना ही चुनौतीग्रस्त अंतिम डिक्री व निर्णय प्राप्त किया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरित होने के कारण अपास्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य आ जाने पर कि पिंकी बनाम सरिता का वाद इसी न्यायालय में विचाराधीन है तथा उक्त वाद को तलब कर जांच करनी चाहिये थी तथा विचाराधीन वाद पश्चातवर्ती वाद होने के कारण इस पश्चातवर्ती वाद की कार्यवाही धारा–10 सीपीसी के तहत पूर्ववर्ती वाद के निर्णय तक स्थगित रखनी चाहिये थी किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा इसकी अनदेखी करके विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो अपास्त होने योग्य है। अपीलान्ट के पक्ष में तत्कालीन खातेदार द्वारा वसीयत की गई है व अपीलान्ट के पति प्रकाशचन्द की मृत्यु हो जाने के कारण सम्पूर्ण भूमि की एक मात्र खातेदार काबिज काश्तकार अपीलान्ट है किन्तु अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री प्राप्त की है जो अपास्त होने योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री निरस्त कर प्रकरण रिमांड किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रकाशचन्द की पत्नी होने के आधार पर विचारण न्यायालय में अपीलांट की ओर से ग्राम गोकुलपुरा की भूमि खसरा नम्बर 99, 100, 101, 89/2, 88/2 के संदर्भ में घोषणा का वाद प्रस्तुत कर वाद के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 111/2014 प्रस्तुत किया गया एवं ग्राम गोकुलपुरा की भूमि खसरा नम्बर 68, 72 के संदर्भ में भी घोषणा का वाद प्रस्तुत कर वाद के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 112/2014 प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने रिकार्डेड खातेदार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

नहीं होने के आधार पर अपीलांट के दोनों आवेदन विचाराधीन निर्णय दिनांक 03.06.2019 से खारिज कर विधिक त्रुटि की है। अपीलांट विवादित भूमि में प्रकाशचन्द की पत्नी होने एवं अपने ससुर की वसीयत के आधार पर सहखातेदार है। अपीलांट का वाद लंबित रहते विवादित भूमि के संरक्षण हेतु विधि अनुसार विचारण न्यायालय को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनी चाहिये थी। ऐसा नहीं कर विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 34/2019, 35/2019 स्वीकार कर ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें। अपीलांट ने अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 06/2024 के संदर्भ में तर्क दिया कि इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 121/2019 बउनवानी पिंकी बनाम संतरा में विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन जारी किया गया था। अप्रार्थीगण ने स्थगन की जानकारी के उपरांत भी विवादित भूमि में स्थगन की अवमानना कर निर्माण कार्य किया है, व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर रहे है। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दण्ड की कार्यवाही की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट वादिया संतरा, सरिता, शारदा, सुमन, शर्मिला की ओर से घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर ग्राम गोकुलपुरा की भूमि खसरा नम्बर 99, 100, 101, 89/2, 88/2 के संदर्भ में अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 02.06.2015 को प्राथमिक डिक्री एवं दिनांक 21.04.2016 को अंतिम डिक्री जारी की गई है। इस प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध अपीलांट ने स्वयं को रामेश्वरलाल के पुत्र प्रकाशचन्द्र की पत्नी होने का कथन कर विवादित भूमि में रामेश्वरलाल के हिस्से में वसीयत के आधार पर धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ अपील संख्या 120/2019 एवं 121/2019 प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के द्वारा प्रस्तुत वाद एवं राजीनामा के आधार पर विचाराधीन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.06.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.04.2016 पारित की है। अपीलांट विवादित भूमि में खातेदार नहीं है। अपीलांट का खातेदारी की उद्घोषणा का दावा विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। उद्घोषणा से पूर्व अपीलांट को विचाराधीन निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अपीलांट की यह अपीले मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। प्रभावित पक्षकार साबित नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 स्वीकार योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। अपीलांट का घोषणा का वाद विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलांट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में भी विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त होने का कोई अंकन नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 212 ग्राम गोकुलपुरा की भूमि खसरा नम्बर 99, 100, 101, 89/2, 88/2 के संदर्भ में घोषणा का वाद प्रस्तुत कर वाद के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 111/2014 प्रस्तुत किया गया एवं ग्राम गोकुलपुरा की भूमि खसरा नम्बर 68, 72 के संदर्भ में भी घोषणा का वाद प्रस्तुत कर वाद के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 112/2014 प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय दिनांक 03.06.2019 से अपीलांट के दोनों आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः अपील संख्या 34/2019 व 35/2019 सारहीन होने से खारिज की जावें। अपीलांट ने अवमानना प्रार्थना पत्र के समर्थन में केवल मात्र फोटोग्राफ प्रस्तुत किये है। स्थगन जारी होने से पूर्व एवं पश्चात की मौके की वस्तु स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। इसके अभाव में स्थगन आदेश की अवमानना किया जाना प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट वादिया संतरा, सरिता, शारदा, सुमन, शर्मिला की ओर से घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर ग्राम गोकुलपुरा की भूमि खसरा नम्बर 99, 100, 101, 89/2, 88/2 के संदर्भ में अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 02.06.2015 को प्राथमिक डिक्री एवं दिनांक 21.04.2016 को अंतिम डिक्री जारी की गई है। इस प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री के विरूद्व अपीलांट ने स्वयं को रामेश्वरलाल के पुत्र प्रकाशचन्द्र की पत्नी होने का कथन कर विवादित भूमि में रामेश्वरलाल के हिस्से में वसीयत के आधार पर धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ अपील संख्या 120/2019 एवं 121/2019 प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के द्वारा प्रस्तुत वाद एवं राजीनामा के आधार पर विचाराधीन प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.06.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 21.04.2016 पारित की है। अपीलांट विवादित भूमि में खातेदार नहीं है। अपीलांट का खातेदारी की उद्घोषणा का दावा विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। उद्घोषणा से पूर्व अपीलांट को विचाराधीन निर्णय के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अपीलांट की यह अपीले मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। प्रभावित पक्षकार साबित नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 स्वीकार योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है। फलस्वरूप अपील संख्या 120/2019, 121/2019 धारा 5 व धारा 96 एवं गुणावगुण पर खारिज योग्य पाई जाती है।

जहां तक अपील संख्या 34/2019, 35/2019 का प्रश्न है अपीलांट का घोषणा का वाद विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलांट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में भी विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त होने का कोई अंकन नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

धारा 212 ग्राम गोकुलपुरा की भूमि खसरा नम्बर 99, 100, 101, 89/2, 88/2 के संदर्भ में घोषणा का वाद प्रस्तुत कर वाद के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 111/2014 प्रस्तुत किया गया एवं ग्राम गोकुलपुरा की भूमि खसरा नम्बर 68, 72 के संदर्भ में भी घोषणा का वाद प्रस्तुत कर वाद के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 112/2014 प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय दिनांक 03.06.2019 से अपीलांट के दोनों आवेदन इस आधार पर कि अपीलांट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है, खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः अपील संख्या 34/2019 व 35/2019 सारहीन होने से खारिज योग्य पाई जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में अवमानना प्रार्थना पत्र के संदर्भ में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट ने अवमानना प्रार्थना पत्र के समर्थन में केवल मात्र फोटोग्राफ प्रस्तुत किये है। स्थगन जारी होने से पूर्व एवं पश्चात की मौके की वस्तु स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। विवादित भूमि के संदर्भ में उपर विवेचित किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री की अपील संख्या 120/2019, 121/2019 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 34/2019, 35/2019 स्वीकार योग्य नहीं पाई गई है, खारिज की गई है। इसके अभाव में स्थगन आदेश की अवमानना किया जाना प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र भी खारिज योग्य पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 120/2019, 121/2019, 34/2019, 35/2019 एवं अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 06/2024 खारिज किये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 15/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर